भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-180

उत्तर देने की तारीख-20/07/2026

राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति के संवितरण में अनियमितताएं

180. **श्री हरीश चंद्र मीना:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति योजना (एनएमएमएसएस) के वितरण में देरी के कारण राजस्थान, विशेषकर टोंक और सवाई माधोपुर जिलों में प्रभावित लाभार्थियों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक से गैर-संवितरित राशि वसूल कर ली है और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (पीएमएफएस-डीबीटी) के माध्यम से छात्रों के खातों में भुगतान सुनिश्चित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा भविष्य में इस तरह की त्रुटियों की पुनरावृत्ति को रोकने और राजस्थान के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मेधावी छात्रों को समय पर छात्रवृत्ति का प्रावधान सुनिश्चित करने के लिए अपनाए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जयन्त चौधरी)

(क): राजस्थान में, शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के दौरान, एनएसपी पर अंतिम रूप से सत्यापित कुल 14334 छात्रवृत्तियों में से, टोंक और सवाई माधोपुर जिलों सहित 13018 लाभार्थियों के बैंक खातों में भुगतान बिना किसी विलंब के जमा किया गया। डीबीटी के माध्यम से भुगतान का निर्बाध प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए राज्य शिक्षा प्राधिकरणों के समन्वय से असफल लेन-देन वाले खातों का पुनः सत्यापन एक सतत प्रक्रिया है। वर्ष 2025-26 के लिए सवाई माधोपुर और टोंक जिलों सहित राजस्थान राज्य के लाभार्थियों की संख्या का ब्यौरा अनुलग्नक में देखा जा सकता है।

(ख) और (ग) : एनएमएमएसएस के अंतर्गत, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा वर्ष 2022–23 से 2025–26 की अवधि के लिए कुल ₹218,42,64,760/- की राशि भारत सरकार को वापस कर दी गई है। भारतीय स्टेट बैंक, नई दिल्ली में संचालित एनएमएमएसएस के बैंक खाते को वर्ष 2025–

26 के दौरान बैंक में लंबित समस्त अवितरित राशि की वसूली के उपरांत विधिवत रूप से बंद कर दिया गया। यह योजना सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के माध्यम से पूर्ववर्ती "एजेंसी मोड" (एसबीआई) से वेतन और लेखा कार्यालय प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (पीएओ-डीबीटी) मोड में सफलतापूर्वक परिवर्तित हो गई है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए छात्रवृत्ति भुगतान को पीएफएमएस के माध्यम से पीएओ-डीबीटी मॉड्यूल द्वारा सीधे लाभार्थियों के सत्यापित आधार-सीडेड बैंक खातों में सफलतपूर्वक वितरित किया गया था।

अनिवार्य आधार आधारित भुगतान प्रणाली (एबीपीएस) को अपनाने, अंतिम भुगतान फाइल तैयार करने से पूर्व राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) पर भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) मैपर के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों के सत्यापन हेतु कठोर सत्यापन प्रोटोकॉल लागू करने तथा पीएओ-डीबीटी मोड में परिवर्तन के उपरांत विभाग द्वारा नोडल अधिकारियों के क्षमता निर्माण जैसे उपायों से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के सत्यापित मेधावी लाभार्थियों को छात्रवृत्ति राशि जारी करने की प्रक्रिया में तेजी आई है।

अनुलग्नक

माननीय संसद सदस्य श्री हरीश चंद्र मीना द्वारा □राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति के संवितरण में अनियमितताएं□ के संबंध में दिनांक 20.07.2026 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 180 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

वर्ष 2025–26 के लिए राजस्थान राज्य की अद्यतन स्थिति

क्र.सं.	मूल्यांकन वर्ष	एनएसपी पर अंतिम रूप से सत्यापित आवेदन (नवीन + नवीनीकरण)	पीएओ-डीबीटी के माध्यम से वितरित भुगतान
1	2025-26	14334	13018

क्र.सं.	जिले का नाम	एनएसपी पर अंतिम रूप से सत्यापित आवेदन (नवीन + नवीनीकरण)	पीएओ-डीबीटी के माध्यम से वितरित भुगतान
1	सवाई माधोपुर	312	291
2	टोंक	273	247